रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1998/श्रावण 5, 1920
No. 161] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1998/SHARAVANA 5, 1920

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

सार्वजनिक सूचना

मुंबई, 22 जुलाई, 1998

सं. टी.डी.आर.ओ./सी. एल. बी/98/अन्य/1.—सभी संबंधित व्यक्तियों का ध्यान वस्त्र (उपभोक्ता संरक्षण) विनियमन,1988 (जिसको कि इसके बाद सभी स्थानों पर उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 (ई) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कि यह अधिसूचित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस अधिसूचना में विहित वैधानिक मार्किंग (छाप) के बिना या गलत या भ्रामक मार्किंग (छाप) लगाकर कोई भी टॉप, धागा और/अथवा कपड़े का भंडारण या बिक्री के लिए प्रस्तावित नहीं करेगा अथवा उक्त अधिसूचना के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा। उपरोक्त संदर्भ में प्रयोग किए गए शब्द "व्यक्ति" में अन्य प्रावधानों के साथ-साथ, "डीलर" समाविष्ट है, "डीलर" को वस्त्र (विकास एवं विनियमन) आदेश, 1993 के खण्ड 3 (15) में परिभाषित किया गया है, शब्द "डीलर" उक्त अधिसूचना के खण्ड 2 (2) में फिर से निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है,

"डीलर' से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो टॉप, धागा एवं वस्त्र का थोक या फुटकर व्यापार किसी अन्य धंधे के साथ-साथ या अलग से करता हो"

2. उक्त अधिसूचना के अनुसार कोई भी व्यक्ति/डीलर, जो कि टॉप, धागा एवं/अथवा कपड़े का थोक या फुटकर लेन-देन करता है, और चाहे ऐसा लेन-देन किसी दूसरे धंधे के साथ या बिना किसी दूसरे धंधे के साथ करता है, कोई टॉप, धागा एवं/अथवा कपड़ा, चाहे वह भारत में बना हो या आयात किया गया हो, गलत या भ्रामक मार्किंग (छाप) या वैधानिक मार्किंग (छाप) के बिना बिक्री, भंडारण या लेन-देन नहीं करेगा या उक्त अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. ऐसे किसी टॉप, धागा एवं/अथवा कपड़े पर जो कि भारत में बिक्री किया जा रहा हो, चाहे वह स्वदेशी हो या आयात किया गया हो, पर उक्त अधिसूचना के अनुसार वैधानिक मार्किंग (छाप) आवश्यक है।

4. यहां यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना, सार्वजनिक सूचना सं. टीडीआरओ/सीएलबी/93/ मि./1, 07 मई, 1993 द्वारा वस्त्र (विकास एवं विनियमन)आदेश, 1993 (जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश है) की धारा-9 के अधीन जारी समझी जायेगी।

5. कोई भी व्यक्ति/डीलर वैधानिक मार्किंग (छाप) के बिना अथवा गलत या भ्रामक मार्किंग (छाप) के टॉप, धागा एवं/अथवा कपड़ा बिक्री के लिए प्रस्तावित अथवा भंडारण करते हुए पाया गया तो उक्त पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

6. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान जो उक्त अधिसूचना के साथ पढ़ा जाए इसके अनुसार कोई भी टॉप, धागा एवं/अथवा कपड़ा जो कि वैधानिक मार्किंग (छाप) के बिना है या उस पर गलत या भ्रामक मार्किंग (छाप) है, को जब्त किया जायेगा ।

बी. सी. खटुआ, वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Textile Commissioner)

PUBLIC NOTICE

Mumbai, the 22nd July, 1998

No. TDRO/CLB/98/Misc./1.—Attention of all concerned is invited to clause 3 (e) of the Textiles (Consumer Protection) Regulations, 1988 (hereinafter referred to as the said notification) wherein it has been notified that no person shall offer or store for sale any tops, yarn and/or cloth with take or misleading markings or without the statutory markings prescribed in the said notification or in violation of any of the provisions of the said notification. The word "person", inter-alia, includes a "dealer", as defined in clause 3(15) of the Textiles (Development and Regulation) order, 1993. The word "dealer" is further defined under clause 2(2) of the said notification, as under :—

" 'Dealer' means a person trading in tops, yarn or cloth, whether wholesale or retail and whether or not in conjunction with any other business."

2. No person/dealer dealing with tops, yarn and/or cloth, whether wholesale or retail and whether or not in conjunction with any other business, shall offer or store for sale any tops, yarn and/or cloth, irrespective of whether it is manufactured in India or imported, with fake or misleading markings or without the statutory markings prescribed in the said notification or in violation of any of the provisions of the said notification.

3. Any tops, yarn and/or cloth sold in India, irrespective of whether it has been manufactured indigenously or imported, should invariably contain all the statutory markings as envisaged in the said notification.

4. It is also hereby informed, that the said notification is deemed to have been issued under clause 9 of the Textiles (Development and Regulation) Order, 1993 (an order issued by the Central Governmenat under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955), vide public Notice No. TDRO/CLB/93/Misc./1, dated 7th May, 1993.

5. Any person/dealer having been found offering or storing for sale any tops, yarn and/or cloth without statutory markings or with fake or misleading markings shall be prosecuted as per the provisions of the Essential Commodities Act, 1955.

6. Any tops, yarn and/or cloth; which do not contain the statutory markings or found containing fake or misleading markings shall be seized according to the provisions of the Essential commodities Act, 1955 read with the said Notification.

B. C. KHATUA, Textile Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998